1805496/2024/SAMB(MIS)

कार्यवाही विवरण दिनांक 10/01/2024

दिनांक 10/01/2024 को अपर मुख्य सचिव महोदय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में मण्डी बोर्ड मुख्यालय, भोपाल के सभाकक्ष में प्रदेश की अ-वर्ग की समस्त 39 कृषि उपज मंडी समितियों में ई-मंडी योजना प्रवृत्त किये जाने के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें मण्डी बोर्ड मुख्यालय, भोपाल एवं एन.आई.सी. भोपाल के संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार अधिकारीगण/प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

आयोजित बैठक में श्री मुर्शरफ सुल्तान, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक द्वारा मंडी बोर्ड की ई-मंडी योजना का प्रस्तुतिकरण पीपीटी के माध्यम से किया गया। ई-मंडी योजना में गूगल प्लेस्टोर के माध्यम से ई-मंडी ऐप को निशुल्क डाउनलोड कर मंडी समितियों में किसानों के द्वारा स्वयं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया, जो कि ओटीपी बेस्ड है। किसान को मंडी के प्रवेश द्वार पर अपना स्वयं का नाम, पता, अपनी उपज का विवरण, ग्रेड, अनुमानित वजन की जानकारी को मंडी कर्मचारी द्वारा प्रवेश द्वार पर स्थापित सिस्टम में दर्ज कर प्रवेश पर्ची जारी करने की जानकारी दी गई। ई-मंडी ऐप में कृषक को स्वयं प्रवेश पर्ची जनरेट करने की सुविधा भी दी गई है। ई-मंडी एप की समीक्षा उपरांत निम्नानुसार आवश्यक निर्देश दिये गये:-

1. सभी आंचलिक संयुक्त/उप संचालकों तथा सचिवों को ई-मंडी योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिए गए।
2. मंडी बोर्ड मुख्यालय, आंचलिक कार्यालयों तथा मंडी स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किये जाने के निर्देश दिए गए।
3. ई-मंडी एप पर कृषकों द्वारा अग्रिम सेल्फ रजिस्ट्रेशन किये जाने से सुविधा वृद्धि का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिए गए।
4. ई-मंडी से अग्रिम पंजीयन कर मंडी आने वाले कृषक/विक्रेता को प्राथमिकता से नीलामी शेड पर बर्थ आरक्षित की जाए।
5. ई-मंडी एप पर अनुबंध, तौल एवं भुगतान के SMS तथा व्हाट्सएप किसानों को एप पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था किये जाने के निर्देश एन.आई.सी. भोपाल को दिए गए।
6. 10MT-100MT के इलेक्ट्रॉनिक व्हेब्रिज तौल काँटों को ई-मंडी एप से इंटीग्रेट किये जाने की व्यवस्था का आंचलिक अधिकारी, निर्माण शाखा के कार्यपालन यंत्री, मण्डी सचिव तथा एन.आई.सी. की टीम संयुक्त रूप से परीक्षण कर जल्द से जल्द एप्लीकेशन से इंटीग्रेट करने की कार्यवाही करेगी।

7. ई-मंडी एप में प्रवेश का समय एक्चुअल मंडी में आने का समय न होकर रजिस्ट्रेशन किये जाने का समय है, सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार किये जाने के निर्देश एन.आई.सी. भोपाल को दिए गए।

8. कृषकों को मंडी में लगने वाला समय (प्रवेश से निर्गमन तक) के औसत समय का ग्राफ बनाने के निर्देश दिए गए।

9. संयुक्त संचालक इंदौर द्वारा अवगत कराया गया कि मंडी में नीलामी तेज गति से होती है अनुबंध में भाव दर्ज करने का आप्शन व्यापारी के मान नंबर दर्ज करने से पहले होना चाहिए तथा एंट्री हिन्दी में होना चाहिए। सुझाव से सहमत होते हुए उक्त व्यवस्था को एप्लीकेशन में किये जाने के निर्देश दिए गए।

10. मंडी सचिव इंदौर द्वारा अवगत कराया गया कि तुलावटी द्वारा तौल की मात्रा दर्ज करने में तुलावटियों के पास उपयुक्त मात्रा में एंड्राइड मोबाइल नहीं है, जिस कारण से तौल की रियल टाइम एंट्री मंडी के कर्मचारियों द्वारा तुलावटियों के आईडी से की जा रही है। इस कारण अनुबंध तथा तौल की एंट्री में समय की भिन्नता प्रदर्शित हो रही है। अवगत कराया गया कि तौल की एंट्री का आप्शन तुलावटी लॉग इन के साथ साथ व्यापारी लॉग इन पर भी दिया गया है, यदि तुलावटी तौल की एंट्री करने में असमर्थ है तो तौल की एंट्री तौल पर्ची के आधार पर व्यापारी लॉग इन से तथा मंडी लॉग इन से कराई जा सकती है। तुलावटियों को योजना के सफल संचालन के लिए व्यापक रूप से प्रशिक्षण दिए जाने के निर्देश मंडी सचिवों को दिए गए।

11. संयुक्त संचालक ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि मंडी प्रांगण का गेट हाईवे से लगा होने के कारण प्रवेश द्वार पर गेट एंट्री करने से सड़क पर जाम लग जाता है। यही स्थिति डबरा मंडी में भी है। इस सम्बन्ध में ई-मंडी एप से टोकन दिए जाने तथा परमानेंट रजिस्ट्रेशन का विकल्प जो कि एप्लीकेशन में उपलब्ध है, से अवगत कराते हुए टोकन सिस्टम की व्यवस्था सॉफ्टवेयर में करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा एन.आई.सी. भोपाल को दिए गए।

इस सम्बन्ध में उप संचालक उज्जैन द्वारा सुझाव दिया गया कि गेट और शेड के बीच बूथ बनाकर प्रवेश की एंट्री की जा सकती है। सुझाव से सहमत होते हुए मंडी समिति अपने मंडी प्रांगण की भौगोलिक स्थिति अनुसार इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है।

12. सागर मंडी की व्यवस्थाओं में निर्देशानुसार आवश्यक सुधार नहीं हुआ है, इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा संयुक्त संचालक सागर को निर्देश दिए कि वे स्वयं अपने मार्ग दर्शन में सागर मंडी में ई-मंडी योजना के सफल क्रियान्वयन की समीक्षा प्रतिदिन करेंगें। साथ ही, निरीक्षण के दौरान पाई गई समस्त कमियों की भी पूर्ति करेंगें।

13. संयुक्त संचालक सागर/जबलपुर द्वारा अवगत कराया कि उनके क्षेत्र अंतर्गत आने वाली मंडी समितियों में जल्द से जल्द एक माह की समयावधि में शत-प्रतिशत कार्य ई-मंडी एप पर प्रारंभ कर दिया जायेगा।

14. संयुक्त संचालक रीवा द्वारा अवगत कराया गया कि सतना मंडी में ई-मंडी योजना प्रवृत्त है, जिसे निर्देशानुसार शत-प्रतिशत किया जायेगा।

15. भोपाल मंडी सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ई-मंडी एप में वजन एवं भुगतान में संशोधन नहीं होता है, पूरी प्रक्रिया निरस्त करके पुन: एंट्री करनी पड़ती है। सुझाव से सहमत होते हुये सॉफ्टवेयर में एडिट का आप्शन सचिव लॉग इन तथा सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की आईडी पर दिए जाने के निर्देश एन.आई.सी. भोपाल को दिए गए। तदुपरांत भोपाल मंडी सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कृषक द्वारा दो लॉट में से एक लॉट विक्रय करने पर तौल एवं भुगतान की एंट्री में अंतर प्रदर्शित होता है। निर्देशित किया गया कि मंडी समिति प्रतिदिन ई-अनुज्ञा पोर्टल पर प्रदर्शित रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अवलोकन करे तथा भिन्नता की जांच के लिए मंडी प्रांगण प्रभारी तथा मंडी के अन्य अमले का दल गठित करे।

16. देवास मंडी सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि 90 प्रतिशत अनुबंध ई-मंडी एप से जारी किये जा रहे हैं। तुलावटियों के पढ़े लिखे ना होने से तौल की एंट्री करने में समस्या है। देवास के व्यापारियों द्वारा देवास में प्रचलित एक्सेल भुगतान सॉफ्टवेयर पर कार्य किया जाता है। व्यापारियों द्वारा इस सॉफ्टवेयर को ई-मंडी से इंटीग्रेट करने की मांग की गई है जिससे व्यापारियों को डबल एंट्री न करना पड़े। उक्त सॉफ्टवेयर को ई-मंडी एप्लीकेशन से इंटीग्रेट करने के निर्देश दिए गए।

17. हरदा मंडी सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि हरदा मंडी के व्यापारी शत-प्रतिशत भुगतान पत्रक ई-मंडी से जारी कर रहे है। योजना को मंडी में शत-प्रतिशत प्रवृत्त कर दिया गया है।

18. इंदौर मंडी सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि रजिस्टर्ड कृषकों की एंट्री में एडिट/अपडेट का आप्शन होना चाहिए। निरस्त करने का आप्शन सभी लॉग इन आईडी पर होना चाहिए। उक्त बिंदु के सम्बन्ध में निर्देश बिंदु क्रमांक 15 में दिए जा चुके है। सचिव द्वारा पुन: अवगत कराया गया कि कुछ ग्रामों के नाम जो कि सिस्टम पर ड्राप डाउन में प्रदर्शित नहीं होते है, की एंट्री मैन्युअली की जा सके, ऐसी व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया गया। उन्हें अवगत कराया गया कि इस आशय की व्यवस्था ई-मंडी में कर दी गई है।

19. ई-मंडी एप में जिले के बाहर/राज्य के बाहर के गांवों की एंट्री करने का आप्शन दिए जाने के निर्देश अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये।

20. ई-मंडी एप में सेंसिटिव इनफार्मेशन (व्यापारी का नाम, मान नंबर, अनुज्ञप्ति क्रमांक, वजन भाव/दर) को एडिट करने की एक्सेस सचिव/प्रांगण प्रभारी की लॉग इन आईडी पर दिए जाने

के निर्देश अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये तथा सिस्टम पर चेंज का लॉग मेंटेन करने के निर्देश भी दिए गए।

21. अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा किसानों के मंडी में प्रवेश से लेकर उनके निकासी तक के समय को सिस्टम पर कैप्चर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही इस आशय की सम्पूर्ण व्यवस्था मंडी प्रांगण में करने के निर्देश दिए कि किसानों को मंडी प्रांगण में अपनी उपज विक्रय करने में कम से कम समय लगे तथा कृषकों को मंडी प्रांगण में कोई असुविधा ना हो।

22. अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा ई-मंडी एप में किसान के रिक्त वाहन को भी एग्जिट होने की एंट्री को ई-मंडी सॉफ्टवेर में कैप्चर किये जाने के निर्देश दिए गए।

23. हार्डवेयर इन्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि की मंडी समितियों में व्यवस्था सम्बन्धी निर्देश मंडी बोर्ड द्वारा जारी पत्र क्र./नियमन/ई-मंडी/2017-18/521/4013 भोपाल दिनांक 01/02/2018 अनुसार पूर्व से ही हैं। ई-मंडी योजना हेतु भी उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

24. मंडी के निरीक्षक सहायक उप निरीक्षक तथा उपलब्ध लिपिकीय अमले का उपयोग ई-मंडी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु करने के निर्देश दिए गए। ई-मंडी तथा ई-अनुज्ञा योजना प्रवृत्त होने के परिणामस्वरूप मंडियों में अनेक प्रकार के मेन्यूअल कार्य प्ररूप पंजीयों के संधारण मे कमी आई है। अतः उक्त के कार्यरत अमले का समुचित युक्तियुक्तकरण व्यवस्थापन कर आंचलिक अधिकारी अभिमत सहित प्रतिवेदन दें।

25. उपस्थित सभी मंडी सचिवों तथा उनके साथ आये ई-मंडी कार्य में लगे व चिन्हांकित कर्मचारियों को ई-मंडी योजना का व्यवहारिक प्रशिक्षण श्री मुशर्रफ़ सुल्तान श्री संदीप चौबे तथा श्री योगेश नागले द्वारा दिया गया।

बैठक के अंत में प्रबंध संचालक द्वारा समय सीमा में निर्देशित कार्यो को पूर्ण करने के निर्देश देते हुये बैठक समाप्त की गयी।

(अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अनुमोदित)

19/01/24

(श्रीमन् शुक्ला)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./मंडी बोर्ड/आई.टी.सेल/2023-24/338 भोपाल, दिनांक 19/01/2024

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. अपर संचालक (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
5. श्री मुशर्रफ सुल्तान, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. भोपाल।
6. संयुक्त संचालक/सहायक संचालक (नियमन), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
7. चीफ प्रोग्रामर/प्रोग्रामर, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
8. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त अ-वर्ग)।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र.	अधिकारी/प्रतिनिधि	पदनाम	कार्यालय का नाम
1.	श्री श्रीमन् शुक्ला	आयुक्त सह प्रबंध संचालक	मण्डी बोर्ड मुख्यालय
2.	श्री गौतम सिंह	अपर संचालक	मण्डी बोर्ड मुख्यालय
3.	श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ	अपर संचालक	मण्डी बोर्ड मुख्यालय
4.	श्री आर.आर. अहिरवार	अपर संचालक	मण्डी बोर्ड मुख्यालय
5.	श्री एस.बी.सिंह	अपर संचालक	मण्डी बोर्ड मुख्यालय
6.	श्री डी.एस. राठौर	अधीक्षण यंत्री	मण्डी बोर्ड मुख्यालय
7.	सुश्री संगीता ढोके	संयुक्त संचालक	मण्डी बोर्ड मुख्यालय
8.	श्रीमती रितु चौहान	संयुक्त संचालक	आंच.कार्या. भोपाल
9.	श्री महेन्द्र सिंह चौहान	संयुक्त संचालक	आंच.कार्या. इंदौर
10.	श्री आर.पी. चक्रवर्ती	संयुक्त संचालक	आंच.कार्या. ग्वालियर
11.	श्री एस.के. कुमरे	संयुक्त संचालक	आंच.कार्या. सागर
12.	श्री हरिराम लारिया	संयुक्त संचालक	आंच.कार्या. रीवा
13.	श्री प्रवीण वर्मा	उप संचालक	आंच.कार्या. उज्जैन
14.	श्री मुशर्रफ सुल्तान	वरिष्ठ तकनीकी निदेशक	एन.आई.सी. भोपाल
15.	श्री संदीप कुमार चौबे	चीफ प्रोग्रामर	मण्डी बोर्ड मुख्यालय
16.	श्री संजीव अग्निहोत्री	प्रोग्रामर	मण्डी बोर्ड मुख्यालय
17.	श्री योगेश नागले	सहायक संचालक	मण्डी बोर्ड मुख्यालय
18.	श्री अविनाश पाठे	सहायक संचालक	मण्डी बोर्ड मुख्यालय